दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी.संख्या–06 / 2025 / पीबी–I.

प्रतिनियुक्ति आधार पर तहसीलदार के 18 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रण सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति आधार पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल–8 में तहसीलदार के 18 पदों को भरने के लिए पात्र अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है।

प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और विस्तृत निबंधन एवं शर्तें डीडीए की वेबसाइट **www.dda.gov.in** (लिंक जॉब्स) पर उपलब्ध हैं।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **25.05.2025** से 30 दिन (अर्थात् 23.06.2025) है।

विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के लिए कृपया डीडीए की वेबसाइट **www.dda.gov.in** (लिंक जॉब्स) को देखें।

आयुक्त (कार्मिक)

डीडीए की वेबसाइट: www.dda.gov.in जाएं या टोल फ्री नंबर dial 1800110332 डॉयल करें

फॉलो करें: @ddaofficial @official_dda @official_dda_

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी.संख्या–06 / 2025 / पीबी–I

विषयः दिविप्रा में प्रतिनियुक्ति आधार पर (7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल–8) तहसीलदार के 18 पदों को भरना

दिविप्रा प्रतिनियुक्ति आधार पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल–8 में तहसीलदार के 18 पदों को भरने के लिए पात्र अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। प्रतिनियुक्ति के पात्रता मानदंड और अन्य निबंधन और शर्तें निम्नानुसार होंगीः

दिविप्रा में तहसीलदार के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड :

केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेश / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिएः

(क) मूल विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारण किया होः

या

(ख) मूल विभाग में राजस्व संवर्ग में 6वें सीपीसी के अनुसार पीबी–II अर्थात् 9300–34800 / –रु. के साथ ग्रेड वेतन 4200 / –रु. या 7वें सीपीसी के अनुसार समकक्ष स्केल 35,400–1,12,400 रु. (लेवल 6) में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो।

सामान्य शर्तेंः

1. प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसे वर्ष दर वर्ष आधार पर पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, हालांकि, प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक / विस्तारित अवधि पूरी होने से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के विवेक पर किसी भी समय इसे समाप्त किया जा सकता है।
2. प्रतिनियुक्ति की निबंधन और शर्तें डीओपीएंडटी के ओएम दिनांक 17.06.2010 के प्रावधानों और समय–समय पर संशोधित प्रावधानों द्वारा यथावश्यक परिवर्तनों सहित शासित होंगी।
3. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. अभ्यर्थी को मूल विभाग / संगठन में कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित आवेदन प्रारूप के भाग के रूप में "नियोक्ता / कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन" को दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन अग्रेषित करते समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
5. दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवश्यकताओं के आधार पर पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
6. ऐसे इच्छुक और पात्र अधिकारियों के आवेदन जिन्हें कार्यमुक्त किया जा सकता है, उन्हें संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कैडर मंजूरी, विजिलेंस क्लीयरेंस, संलग्न परफॉर्मा में विधिवत प्रमाणित और प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत बायोडाटा, पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए छोटे और बड़े दंडों का विवरण और पिछले 05 वर्षों के सी.आर. डोजियर के साथ अग्रेषित किया जाए।
7. आवेदक को मूल विभाग में मूल पद और 6वें और 7वें सी.पी.सी. के अनुसार केंद्र सरकार के वेतनमानों के अनुरूप उनके द्वारा धारित पद का मूल वेतन भी बताना होगा। एसीपी / एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का विवरण भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए।
8. आवेदकों के कैडर पद की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का स्तर एक्स–कैडर पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बराबर होना चाहिए।
9. बिना उचित माध्यम के या आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर पूरी तरह से स्थानांतरण पर तैनात किया जाएगा और समामेलन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. आवेदक की पात्रता दिविप्रा में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को निर्धारित की जाएगी।
12. विधिवत् रूप से भरे गये आवेदन **आयुक्त (कार्मिक) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ई–1, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली –110023** में इस रिक्ति सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिनों तक या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए। अपूर्ण / देर से प्राप्त हुए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और इन्हें तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

आयुक्त (कार्मिक)

डीडीए की वेबसाइटः www.dda.gov.in जाएं या टोल फ्री नंबर dial 1800110332 डॉयल करें

फॉलो करेंः @ddaofficial @official_dda @official_dda_